

मेन्स मास्टर

चुनावों के बगीचे में सब कुछ सुंदर नहीं होता

भारत एक निर्णायक आम चुनाव के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जो उसके लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बेहद अहम है।

इतिहास में, भारत ने एशिया में उदार लोकतंत्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर काम किया है।

हालिया चंडीगढ़ महापौर चुनाव विवाद:

चंडीगढ़ महापौर चुनाव की घटना ने चुनावी प्रणाली में संवेदनशीलता को उजागर किया, जहाँ एक निर्वाचन अधिकारी, जिसका संबंध भारतीय जनता पार्टी (BJP) से बताया जा रहा है, ने मतों में हेरफेर किया। इस घटना ने संभावित हेरफेर के प्रति ध्यान खींचा: इसने चुनावी प्रक्रिया को विकृत करने की संभावनाओं के प्रति चिंता जताई, जिससे इसकी अखंडता पर सवाल उठते हैं।

चुनावी अखंडता की सुरक्षा के प्रति आशंकाएँ बढ़ीं: इस मामले ने निष्पक्ष और निरपेक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मजबूत उपायों की जरूरत को सामने लाया, जो किसी भी अनुचित प्रभाव या हेरफेर से मुक्त हों।

लोकतंत्र में चुनावों की भूमिका:

वैधता और जन विश्वास का आधार: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी सक्रिय लोकतंत्र की नींव होते हैं। वे निर्वाचित अधिकारियों की वैधता को पुष्टा करते हैं और सरकार में जनता के विश्वास को मजबूत करते हैं, क्योंकि नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में भागीदार होते हैं।

नागरिकों को सशक्तिकरण: चुनाव नागरिकों को उनकी सरकार को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। यह उन्हें निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह बनाने और देश की दिशा के लिए अपनी पसंद को व्यक्त करने का मंच प्रदान करता है।

वे व्यापक लोकतांत्रिक संरचना का एक प्रतिबिंब होते हैं, जो नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने और अपनी सरकार को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने की शक्ति प्रदान करते हैं।

चुनावी लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ:

- **धार्मिक प्रतीकों और भाषण का बढ़ता उपयोग:** सार्वजनिक चर्चा और राजनीतिक अभियानों में धार्मिक प्रतीकों और भाषा के उपयोग में वृद्धि देखी गई है। इससे:

- **धार्मिक भावनाओं का दोहन:** राजनीतिक दल और नेता धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, जिससे मतदाता नीतियों या योग्यता के बजाय धार्मिक संबद्धता के आधार पर प्रभावित हो सकते हैं।

- **सामाजिक विभाजन बढ़ाना:** धार्मिक भाषण का बढ़ता उपयोग मौजूदा सामाजिक और धार्मिक विभाजनों को और बढ़ा सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बाधा पहुंचती है और सहिष्णुता का वातावरण कम होता है।

- चुनावी कानूनों की अनदेखी:

- **धारा 123 का संभावित उल्लंघन:** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 स्पष्ट रूप से चुनावों के दौरान धार्मिक आधार या धार्मिक प्रतीकों के आधार पर मतदाताओं से अपील करने को निषिद्ध करती है। फिर भी, इस कानून की अनदेखी की चिंताएँ हैं, जो निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष चुनावी प्रथाओं को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाती हैं।

- **प्रक्रिया को विकृत करने के प्रयास:** चंडीगढ़ मामले जैसी घटनाएँ, जहाँ प्रणाली के भीतर के व्यक्त प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, प्रणाली की कमजोरियों और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

संवैधानिक और संस्थागत तंत्र:

- भारतीय संविधान और कानूनी ढांचा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित करते हैं:

- **भारत का चुनाव आयोग:** यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय चुनावों का संचालन और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है ताकि उनका सुचारु और निष्पक्ष आचरण सुनिश्चित हो सके।

- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम:** ये अधिनियम (1950 और 1951) भारत में चुनावों को शासित करने वाले कानूनी ढांचे का निर्माण करते हैं, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के संचालन की प्रक्रियाओं, योग्यताओं और नियमों को रेखांकित करते हैं।

- **सुप्रीम कोर्ट:** सुप्रीम कोर्ट कानूनी ढांचे को बनाए रखने और चुनावी कानूनों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे चुनावी कुप्रथाओं के मामलों में हस्तक्षेप करने और संविधान और स्थापित कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने की शक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

- चंडीगढ़ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और निम्नलिखित पर जोर दिया:

- **"मूल संरचना"** के रूप में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव: अदालत ने दोहराया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव केवल एक महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं हैं बल्कि संविधान की "मूल संरचना" का एक अनिवार्य तत्व हैं। इससे उनका महत्व बढ़ता है और मौलिक परिवर्तनों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- **चुनावी अखंडता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:** अदालत का त्वरित हस्तक्षेप और चुनावी कुप्रथाओं के खिलाफ मजबूत रुख चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने और हेरफेर की घटनाओं को संबोधित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **कुलदीप कुमार बनाम चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और अन्य (2024):** यह निर्णय सबसे अधिक चर्चित है, जिसे "चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामला" के नाम से जाना जाता है। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना के एक हिस्से के रूप में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के महत्व पर जोर दिया और निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतों में हेरफेर को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप किया।

- **जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहरा और अन्य (1975):** अदालत ने चुनावों में धार्मिक अपीलों के उपयोग के खिलाफ मजबूत टिप्पणियाँ कीं, यह उजागर करते हुए कि ऐसी प्रथाएँ संविधान में परिकल्पित लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करती हैं।

- **अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कोम्पेचन (2017):** सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में उल्लिखित "भ्रष्ट आचरण" शब्द की व्यापक व्याख्या प्रदान की। इसने यह निर्धारित किया कि धर्म के नाम पर अपीलें केवल उम्मीदवार के धर्म पर आधारित अपीलों तक सीमित नहीं हैं बल्कि मतदाताओं के धर्म को भी शामिल करती हैं, जिससे धर्मनिरपेक्ष चुनावों के सिद्धांत को और मजबूती मिलती है।

आगे का रास्ता:

- **कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों का पालन:** राजनीतिक दलों को विशेष रूप से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में निहित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, अपने अभियानों में धार्मिक अपीलों से बचकर।

- **नागरिक सतर्कता और जवाबदेही:** लोकतंत्र की रक्षा में नागरिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है: चुनावी प्रक्रिया के प्रति सूचित और संलग्न रहकर, नागरिक संभावित कुप्रथाओं की पहचान कर सकते हैं और उनके बारे में चिंता उठा सकते हैं।

- **निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना:** नागरिकों को यह अधिकार है कि वे अपने निर्वाचित अधिकारियों को लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और निष्पक्ष और समावेशी चुनावों के सिद्धांतों का पालन करने के लिए जवाबदेह ठहरा सकें।

- **न्यायिक जांच का निरंतरता:** कानून को बनाए रखने और कुप्रथाओं के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायपालिका की निरंतर प्रतिबद्धता भारत के चुनावी लोकतंत्र की अखंडता को मजबूत करने और सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

- **कुल मिलाकर,** जबकि भारत अपने चुनावी लोकतंत्र के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, मजबूत संवैधानिक और संस्थागत तंत्रों का अस्तित्व, साथ ही न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, निष्पक्ष और निरपेक्ष चुनावी प्रक्रिया को बनाए रखने की आशा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 142: सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय की शक्ति

यह क्या प्रदान करता है: यह सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी डिक्ली या आदेश पारित करने की शक्ति देता है।

मुख्य बिंदु:

- लचीलापन: सख्त कानूनी व्याख्या से परे जाकर न्याय प्रदान करना।

- प्रवर्तन: डिक्ली और आदेश पूरे भारत में बाध्यकारी होते हैं।

- निगरानी: संसद या राष्ट्रपति प्रवर्तन विधियों को निर्धारित कर सकते हैं।

इसका उपयोग कब किया जाता है:

- मौजूदा कानूनी उपचार अपर्याप्त हैं।

- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

- जनहित या सामाजिक न्याय दांव पर है।



विस्तृत भूमि प्रबंधन नीति की आवश्यकता समय से अधिक हो चुकी है

भूमि एक बहुआयामी संसाधन है जो मानव जीवन और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है; यह आवश्यक पारिस्थितिकी सेवाएं (जैसे, स्वच्छ वायु, जल विनियमन, जैव विविधता), आर्थिक लाभ (जैसे, कृषि, खनन), सामाजिक कार्य (जैसे, सांस्कृतिक परिरक्षक, मनोरंजन), और सांस्कृतिक महत्व (जैसे, पवित्र स्थल, पारंपरिक प्रथाएं) प्रदान करती है।

हालांकि, पारंपरिक भूमि प्रबंधन प्रथाएं अक्सर कृषि या खनन जैसे विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित होती हैं, अन्य मूल्यों की अनदेखी करती हैं और असंतुलन पैदा करती हैं जो निम्नलिखित की ओर ले जाती हैं:

- **अत्यधिक तनाव:** पोषक तत्वों की कमी, मृदा अपरदन, और संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
- भूमि क्षरण: उत्पादकता की हानि, मरुस्थलीकरण, और जैव विविधता में कमी।
- पर्यावरणीय नुकसान: प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता जोखिम, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, और पारिस्थितिकी सेवाओं में व्यवधान।

वैश्विक स्थिति:

- वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण की वार्षिक लागत लगभग **\$6 ट्रिलियन** अनुमानित है, जो अट्कमणकारी प्रथाओं के महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों को उजागर करती है।
- इस मुद्दे की तात्कालिकता को पहचानते हुए, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास सामने आए हैं:
 - **संयुक्त राष्ट्र की मरुस्थलीकरण** से लड़ने के लिए संधि (COP14) जो 2019 में आयोजित की गई थी, विशेष रूप से विभिन्न देशों द्वारा सामना किए जा रहे भूमि क्षरण के मुद्दों को संबोधित करती है और भूमि क्षरण तटस्थता (भूमि क्षरण और पुनर्स्थापना के बीच संतुलन प्राप्त करना) प्राप्त करने के लिए समाधान खोजती है।

- जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (IPCC) ने **"जलवायु परिवर्तन और भूमि"** (2019) पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की, जो वर्तमान प्रथाओं के देश-स्तरीय आकलन की आवश्यकता पर जोर देती है और विभिन्न निकट- और दीर्घकालिक कार्यों की सिफारिश करती है। ये कार्य भूमि प्रबंधन विकल्पों पर केंद्रित हैं जो भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करते हैं, सह-लाभ प्रदान करते हैं (एक साथ कई चुनौतियों का समाधान करते हैं), और मुख्य पारिस्थितिकी सेवाओं पर नकारात्मक प्रभावों को कम से कम करते हैं।

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की रिपोर्ट "खाद्य और कृषि के लिए विश्व की भूमि और जल संसाधनों की स्थिति: प्रणाली टूटने के बिंदु पर" (2021) भूमि प्रबंधन के मुद्दों को संबोधित करने में तत्काल कार्रवाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देती है। रिपोर्ट भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता की देखभाल की ओर ध्यान केंद्रित करने की मांग करती है।

भारत में चुनौतियां:

- **भूमि की कमी:** भारत एक अनूठी चुनौती का सामना कर रहा है, जहां विश्व के केवल 2.4% भूमि क्षेत्रफल पर 17% से अधिक वैश्विक जनसंख्या निवास करती है। इससे उपलब्ध भूमि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।
- **भूमि क्षरण:** भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 30% पहले से ही क्षरित के रूप में वर्गीकृत है, जिससे उत्पादक भूमि की उपलब्धता और कम हो जाती है।
- प्रतिस्पर्धा और संघर्ष: कृषि, बुनियादी ढांचा विकास, तेजी से शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्र, सीमित भूमि पूल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे संघर्ष और भूमि की कीमतों में वृद्धि होती है। इस प्रतिस्पर्धा का सामाजिक और राजनीतिक परिणाम भी हो सकता है।
- **विखंडित प्रबंधन:** वर्तमान में भूमि प्रबंधन व्यक्तिगत राज्य सरकारों के अधीन आता है, जिससे देश भर में सामंजस्य और निरंतरता की कमी होती है। इसके अलावा, सांस्कृतिक भूमि स्वामित्व अक्सर निजी व्यक्तियों के पास रहता है, जो एकीकृत भूमि प्रबंधन नीतियों के कार्यान्वयन को और जटिल बनाता है।
- **ज्ञान की कमी और अल्पवृद्धि योजना:** सीमित ज्ञान साझाकरण, मुख्य रूप से अल्पकालिक योजना दृष्टिकोण, और अप्रत्याशित घटनाओं (जैसे, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक उतार-चढ़ाव) के लिए तैयारी की कमी सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में बाधा डालती है।
- **नियामक बाधाएं:** मौजूदा नियम और विनियमन प्रभावी भूमि प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने में अनजाने में बाधाएं पैदा कर सकते हैं।

हाल की वैश्विक पहलें:

- यूरोपीय परिरक्षक सम्मेलन व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए परिरक्षक प्रबंधन के महत्व को पहचानता है। यह भूमि उपयोग और इसके लोगों के जीवन और सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रभाव की अंतरसंबंधिता पर जोर देता है।
- यूके संसद के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यालय ने "सतत भूमि प्रबंधन: पर्यावरणीय लाभों के लिए भूमि का बेहतर प्रबंधन" (2021) शीर्षक से ब्रीफ 42 जारी किया। यह दस्तावेज भूमि प्रबंधन की जटिलता और जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, और सतत भूमि उपयोग की अंतरसंबंधित चुनौतियों को संबोधित करने वाली बेहतर नीतियों की आवश्यकता को स्वीकार करता है। यह यूके में मौजूदा नीतियों की कमियों को उजागर करता है और अधिक व्यापक दृष्टिकोण की मांग करता है।
- आगे का रास्ता:**
 - **बहु-हितधारक मंच:** जिला और उप-जिला स्तर पर मंच स्थापित करें जो किसानों, भूमि प्रबंधकों, नीति निर्माताओं, सिविल सोसायटी संगठनों, व्यापार नेताओं, और निवेशकों सहित विविध हितधारकों को एक साथ लाएं। यह सहयोगी दृष्टिकोण संवाद, ज्ञान साझाकरण, और सतत भूमि प्रबंधन के लिए सामूहिक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करता है।
 - **परिरक्षक दृष्टिकोण:** भूमि प्रबंधन के लिए एक परिरक्षक-आधारित दृष्टिकोण लागू करें। यह विधि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर विभिन्न भूमि उपयोगों की अंतरसंबंधिता को ध्यान में रखती है। यह एक व्यापक मूल्यांकन की अनुमति देती है।

हौथिस के हमलों के कारण स्वेज नहर पारगमन में रिकॉर्ड गिरावट

मुख्य बिंदु:

- लाल सागर पर हूती हमले:

- नवंबर 2023 से: यमन में स्थित हूती मिलिशिया ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले शुरू किए हैं।
- **भ्रंशना:** हूतियों का दावा है कि ये कार्रवाइयां इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में की जा रही हैं।
- **प्रभाव:** इन हमलों ने स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार को काफी बाधित किया है, जो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है।
- **शिपिंग मार्गों में नाटकीय परिवर्तन:**
 - जहाजों का पुनर्मागीकरण: लाल सागर से जुड़े सुरक्षा जोखिमों से बचने के लिए, कंपनियां अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर केप ऑफ गुड होप के आसपास के लंबे मार्ग का विकल्प चुन रही हैं।

- स्वेज नहर में गिरावट:

- फरवरी 2024 की पहली छमाही में स्वेज नहर को पार करने वाले कंटेनर ट्रेज, जो कार्गो की मात्रा का एक माप है, पिछली अवधि की तुलना में 82% गिर गया है।
- इससे नहर का उपयोग करने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी का संकेत मिलता है।
- **केप ऑफ गुड होप में वृद्धि:**
 - इसी अवधि में केप ऑफ गुड होप मार्ग पर कंटेनर ट्रेज में 60% की वृद्धि हुई है।
 - यह कंपनियों द्वारा सुरक्षा को कुशलता पर प्राथमिकता देने के कारण शिपिंग पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।
- **पनामा नहर पर तनाव:**
 - सूखे का प्रभाव: पनामा नहर, जो एक अन्य प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्ग है, चल रही सूखे की स्थितियों के कारण कम जल स्तर का सामना कर रही है।
 - क्षमता में कमी: इससे नहर के माध्यम से कम जहाजों का पारगमन हो रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।
 - स्वेज और पनामा नहरों के माध्यम से मासिक पारगमन में गिरावट आई है।
- **दीर्घकालिक प्रवृत्ति:** जबकि स्वेज नहर में गिरावट एक हालिया घटना है, पनामा नहर पिछले दो वर्षों से पारगमन में कमी का अनुभव कर रही है, जिससे वर्तमान स्थिति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है।

बढ़ती दूरियां और लागतें:

- लंबी यात्राएं: केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पुनर्मागीकरण से जहाजों को तय करने की आवश्यकता दूरी में काफी वृद्धि होती है।

- उदाहरण के लिए, सऊदी अरब से नीदरलैंड जा रहे एक तेल टैंकर को स्वेज नहर से बचकर 7,617 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी।

- **उच्च शिपिंग लागत:** बढ़ी हुई दूरियां शिपिंग कंपनियों के लिए अधिक ईंधन खपत और संचालनात्मक लागतों को जन्म देती हैं।

- नवंबर 2023 से एशिया और यूरोप के बीच मार्ग पर कंटेनर फ्रेट दरें, माल भेजने की लागत, में काफी वृद्धि हुई है।

- दिसंबर 2023 में औसत कंटेनर स्पॉट फ्रेट दर ने \$500 की अपनी सबसे उच्चतम साप्ताहिक वृद्धि देखी।

- फ्रेट दरों में इस उछाल का वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, जिससे एशिया और अमेरिका के पश्चिमी तट जैसे विभिन्न स्थानों में कीमतों पर असर पड़ता है।

- भारत पर प्रभाव:

- ईंधन मूल्य की चिंताएं: वूचिक रूस, जो भारत के तेल का एक प्रमुख स्रोत है, आमतौर पर स्वेज नहर के माध्यम से शिपमेंट भेजता है, इसलिए व्यवधान भविष्य में भारत के ईंधन मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं।

- निर्यात की चुनौतियां: भारत कच्चे तेल से रिफाइनड पेट्रोलीयम उत्पादों जैसे पेट्रोल और डीजल का बढता हुआ निर्यातक भी है।

- ये निर्यात स्वेज नहर मार्ग पर भारी निर्भरता रखते हैं, और किसी भी व्यवधान से निर्यात लागत में काफी वृद्धि हो सकती है और संभवतः उन्हें अव्यावहारिक बना सकती है।

निष्कर्ष:

लाल सागर पर हमलों और पनामा नहर में सूखे के संयुक्त प्रभावों से वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा हो रहे हैं:

- शिपिंग मार्गों में व्यवधान और लंबे, कम कुशल विकल्पों की ओर बदलाव।

- शिपिंग कंपनियों के लिए यात्रा की दूरियां और संचालनात्मक लागतें बढ़ाना, जो उच्च कीमतों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पारित की जाती हैं।

- संभावित रूप से ईंधन की कीमतों को प्रभावित करना और भारत जैसे निर्यातक देशों के लिए चुनौतियां पैदा करना।

ये विकास विभिन्न अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की भेद्यता और वैश्विक व्यापार की अंतरसंबंधिता को उजागर करते हैं, जहां एक क्षेत्र में व्यवधान पूरी दुनिया में फैलने वाले प्रभावों को जन्म दे सकते हैं।

युद्ध के दो साल बाद रूस की अर्थव्यवस्था

प्रसंग

- फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया।
- पश्चिमी देशों ने रूसी अर्थव्यवस्था को गंवा बनाने के लिए प्रतिबंध लगाए।

पृष्ठभूमि

- प्रतिबंधों में शामिल हैं:
 - वित्तीय सेवाओं से बहिष्कार।
 - जमी हुई संपत्ति।
 - यात्रा प्रतिबंध।
 - तेल मूल्य सीमा।
 - सैन्य सामान पर प्रतिबंध।

दो साल के युद्ध के बाद रूसी अर्थव्यवस्था

- अप्रत्याशित लचीलापन:
 - पतन से बचा।
 - सीमित वृद्धि (2023 में 2.6% अनुमानित)।
 - कम बजट घाटा।
- लचीलेपन के कारण:
 - मजबूत केंद्रीय बैंक (उच्च व्याज दरें)।
 - मुद्रा नियंत्रण।
 - प्रतिबंधों के समाधान (उदाहरण के लिए, "डार्क फ्लीट")।
 - उच्च ऊर्जा कीमतें।
- आर्थिक इंजन के रूप में युद्ध:
 - बढ़ा हुआ सैन्य खर्च (बजट का 40%)।
 - उच्च पुनर्निर्माण लागत के कारण अस्थिर विकास।

भविष्य का दृष्टिकोण

- लंबे समय तक युद्ध पतन से बचने का एकमात्र विकल्प हो सकता है।
- अर्थव्यवस्था युद्ध प्रयासों पर अत्यधिक केंद्रित है।
- हताहतों की संख्या और प्रतिभा पलायन के कारण श्रमिकों की कमी।
- अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय संबंध और संभावित आगे प्रतिबंध।

प्रीलिम्स बूस्टर

बिटकॉइन हालिंग क्या है और इसका क्रिप्टो समुदाय के लिए क्या अर्थ है

1. बिटकॉइन हालिंग का तात्पर्य बिटकॉइन माइनर्स को दिए जाने वाले इनाम में 50% की कमी से है, जो सफलतापूर्वक लेनदेन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे परिचालन में बीटीसी की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। यह घटना लगभग हर चार साल में होती है और बिटकॉइन की आपूर्ति को नियंत्रित करने और समय के साथ इसके मूल्य को बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है।

2. यह प्रक्रिया विशाल कार्बन पदचिह्न का कारण बनती है और अंततः कंप्यूटर उपकरणों पर निर्भर बिटकॉइन माइनर्स की तीव्र गतिविधि के कारण बहुत अधिक बिजली की मांग करती है। यह ऊर्जा-गहन प्रक्रिया ने बिटकॉइन माइनिंग के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएं उत्पन्न की हैं।

3. क्रिप्टो निवेशकों के लिए बिटकॉइन हालिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिक्कों के जारी होने की दर को कम करता है, जिससे संपत्ति अधिक दुर्लभ हो जाती है और संभावित रूप से कीमतों को ऊपर धकेल सकती है। यह दुर्लभता सोने के सीमित भंडार के मूल्य पर प्रभाव के समान है।

4. बिटकॉइन हालिंग का निवेशकों पर प्रभाव उनकी बिटकॉइन और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संलग्नता के आधार पर भिन्न होता है, जिसमें कॉंपैरिट-स्तर के माइनर्स, नए व्यापारी, और अनुभवी व्यापारियों से विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। कॉंपैरिट-स्तर के माइनर्स कमी से पहले अपने ब्लॉक इनाम को कमाने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, जबकि नए व्यापारी हालिंग की खबर पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते।

5. आगे बिटकॉइन हालिंग के बाद क्रिप्टो बाजार का भविष्य अनिश्चित है, मूल्य प्रक्षेपक के बारे में अनुमान और दावे सर्वश्रेष्ठ रूप से शिक्षित अनुमान हैं। हालिंग का बाजार पर प्रभाव निवेशक भावनाओं, भू-राजनीतिक घटनाओं, और आर्थिक झटकों सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है।

क्या 'रंग अणु' क्वांटम कंप्यूटरों को सुलभ बना देंगे?

- Quantum systems typically require very low temperatures to operate effectively
 - Most physical systems used as qubits in quantum computers function optimally at extremely low temperatures
 - The fragility of superpositions in qubits increases with the number of interaction channels, leading to faster decoherence
- Qubits are the fundamental components of quantum computers and need to be identical and controllable
 - Qubits, with two quantum states, are essential for quantum computing and must be identical and controllable
 - The ability to manipulate individual qubits and their interactions is crucial for quantum information processing
- Quantum computers based on existing technologies are expensive, prompting the search for cost-effective alternatives
 - Current quantum computing technologies, such as superconducting junctions and trapped ions, are costly due to the need for low temperatures
 - Researchers are exploring simpler and more affordable technologies to make quantum computing commercially viable
- Researchers have achieved room-temperature qubits using metal-organic frameworks and chromophore molecules
 - A recent collaborative study in Japan successfully realized qubits at room temperature within a metal-organic framework (MOF)
 - The MOF, containing chromophore molecules, demonstrated the potential for room-temperature qubits in quantum computing
- Singlet fission process in the chromophore molecules enables the creation of long-lived superposition states
 - The singlet fission process in chromophore molecules allows the generation of long-lived superposition states
 - This process, facilitated by the interaction between chromophores, contributes to the stability of triplet states in the quantum system
- The availability of room-temperature qubits is a significant achievement for quantum computing
 - The successful creation of room-temperature qubits represents a major advancement in quantum computing technology
 - Room-temperature qubits offer the potential to make quantum computing more accessible and cost-effective
- Further research is needed to demonstrate quantum gate operations and achieve controllability
 - Ongoing research aims to demonstrate quantum gate operations and achieve controllability with room-temperature qubits
 - The development of practical quantum gate operations and controllable qubit assemblies is crucial for advancing quantum computing capabilities

